छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा प्रथम सत्र अंक-20

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 04 से 08, 10, 12 से 21 (कुल 17) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 01, 03, 09 एवं 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री संतराम नेताम, पारसनाथ राजवाड़े, श्रीमती छन्नी चन्दू साहू, श्री बृहस्पत सिंह अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 13 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल

अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18, पटल पर रखा।

4. पृच्छा

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने चित्रकोट में विस्फोट से एक मासूम की मौत होने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी ध्यानाकर्षण सूचना आज ही प्राप्त हुई है ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, धरमलाल कौशिक, सदस्य ने प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त न होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(2) श्रीमती अंबिका सिंहदेव, सदस्य ने कोरिया जिले में हाथियों के आतंक से जन-धन की हानि होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपा जाना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कोरिया जिले में हाथियों के आतंक से जन-धन की हानि होने संबंधी प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए इस विषय को जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपा गया ।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

मानननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री धरमलाल कौशिक
(3) श्री अमितेश शुक्ल
(4) श्री गुलाब कमरो
(5) श्री लालजीत सिंह राठिया

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पुर: स्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पुर:स्थापित किया ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि शासन की ओर से विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

01. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण(संशोधन) विधेयक,2019 (क्रमांक 4 सन् 2019)	30 मिनट
02. छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019)	01 घंटा
03. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019)	30 मिनट
04. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019)	30 मिनट
05. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019)	30 मिनट

(4) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शिवरतन शर्मा

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये।)

श्री मोहन मरकाम, देवव्रत सिंह, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह,

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019)

श्री रविन्द्र चौबे,विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सौरभ सिंह, मोहन मरकाम, देवव्रत सिंह, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, बृहस्पत सिंह, देवव्रत सिंह, पुरूषोत्तम लाल कंवर, केशव प्रसाद चन्द्रा, शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रातिपक्ष।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों तथा श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक के अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारक निर्धारण) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

11. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

(1) **दिनांक 15 फरवरी, 2019 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक-36)के उत्तर से उद्भूत विषय पर**

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने दिनांक 15 फरवरी, 2019 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक-36) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा उठाई ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

12. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

13. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा (क्रमश:)

(2) दिनांक 20 फरवरी, 2019 के तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक-1024)के उत्तर से उद्भूत विषय पर

श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने दिनांक 20 फरवरी, 2019 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक-1024) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा उठाई ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

14. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा की लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 01 मार्च, 2019 को एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेंटर द्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है । कृपया माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें ।

अपराह्न 3.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2019 (फाल्गुन-10, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा